



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15881

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1826/2026

श्रीमती संध्या देवी एवं 2 अन्य .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य .....प्रत्यार्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कु. अंजना

प्रत्यार्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश का देखते हुए, विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यार्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के तहत वाद संख्या 7067/2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202205310307067) (श्रीमती संध्या देवी बनाम जनार्दन सिंह) को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:- "(7). तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यार्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर को उपरोक्त वाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार तय करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"